भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 651

उत्तर देने की तारीख 06.02.2025

पीएमईजीपी के अंतर्गत राजसहायता

651. **डॉ. लता वानखेड़ेः**
श्री विजय बघेलः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्रीमती स्मिता उदय वाघाँः
श्री भोजराज नागः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री प्रवीण पटेलः
श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः
श्री नव चरण माझीः
श्री शंकर लालवानीः
श्री आलोक शर्माः
श्री बलभद्र माझीः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः
श्रीमती शोभानाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत मार्जिन मनी राजसहायता के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, यदि हां, तो इसमें से राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र के जलगांव लोक-सभा निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस वर्ष आबंटित 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का उपयोग करके मौजूदा उद्यमी इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कार्यनीतियां विद्यमान हैं;

(ग) क्या यह सनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि पीएमईजीपी के लाभ महिला उद्यमियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक प्रभावी रूप से पहुंचें और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र के जलगांव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में हिमाचल प्रदेश में इस योजना के कार्यान्वयन की राज्यवार और जिलावार स्थिति क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) पीएमईजीपी के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी और विगत 3 वर्षों से प्रयुक्त मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक) के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**बजट आवंटन (रुपए करोड़ में)**	**प्रयुक्त एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)**	**सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या**
1	वित्तीय वर्ष 2021-22	2,850.00	2,977.65	1,03,219
2	वित्तीय वर्ष 2022-23	2,683.21	2,722.17	85,167
3	वित्तीय वर्ष 2023-24	3,090.83	3,093.87	89,118
4	वित्तीय वर्ष 2024-25*	1,843.00	1,528.77	38,235

*वित्तीय वर्ष *2024-25 दिनांक 01.02.2025 तक के आंकड़े।*

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, इसलिए बजट का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। निधियों का उपयोग उत्पन्न मांग और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋणों के आधार पर किया जाता है। विगत 3 वर्षों से और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (01.02.2025) के दौरान स्कीम के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी का राज्य-वार उपयोग अनुबंध -I में दिया गया है।

विगत 3 वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (01.02.2025 तक) के दौरान महाराष्ट्र के जलगाँव जिले में प्रयुक्त की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**प्रयुक्त एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)**
2021-22	4.69
2022-23	5.26
2023-24	4.41
2024-25*	3.64

**वित्तीय वर्ष 2024-25 दिनांक 01.02.2025 तक के आँकड़े।*

(ख) वर्ष 2018-19 से मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा उद्यमों को उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के साथ भी सहायता दी जा रही है। दूसरे ऋण के अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 1.00 करोड़ रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए यह 25 लाख रुपये है। सभी श्रेणियों हेतु दूसरे ऋण के लिए पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) है। उन्नयन /आधुनिकीकरण की इच्छुक मौजूदा पीएमईजीपी इकाइयों के लिए हाल ही में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: -

i. दूसरे ऋण किश्त के लिए आवेदन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों की लाभप्रदता पर विचार करते समय कोविड वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 को छोड़ दिया जाएगा।

ii. इस स्कीम के अंतर्गत पशुपालन से संबंधित उद्योगों जैसे डेयरी, कुक्कुट पालन, जलीय कृषि, कीट पालन (मधुमक्खी, रेशम उत्पादन आदि) को अनुमति दी गई है।

iii. भावी लाभार्थियों को अपना व्यवसाय प्रस्ताव तैयार करने में सहायता प्रदान करने के लिए केवीआईसी द्वारा विभिन्न विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को शामिल करते हुए वेबिनार आयोजित किए जाते हैं।

(ग) पीएमईजीपी का लाभ देश भर में महिला उद्यमियों और वंचित समुदायों तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. महिलाओं और वंचित समुदायों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का क्रमशः 25% और 35% की उच्च सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए यह सब्सिडी परियोजना लागत का क्रमशः 15% और 25% है।

ii. वंचित समुदायों की महिलाओं और उद्यमियों सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थियों का योगदान सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% की तुलना में 05% है।

iii. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष श्रेणी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

iv. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित करना।

v. जनवरी 2024 से 11 क्षेत्रीय भाषाओं में संभावित लाभार्थियों से पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

iv. आवेदन भरने में आवेदकों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न केवीआईसी कार्यालयों में विपणन, बैंकिंग और तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति करना।

vi. पीएमईजीपी के अंतर्गत अनुमत कार्यकलापों का विस्तार करके उनमें पशुपालन आदि के अंतर्गत अधिक कार्यकलापों को शामिल किया गया है।

विगत 3 वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक) के लिए महिला उद्यमियों और वंचित समुदायों के उद्यमियों का राज्य-वार पीएमईजीपी कार्य-निष्पादन अनुबंध-II में दिया गया है।

विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक) से सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और मार्जिन मानी के संदर्भ में महाराष्ट्र के जलगांव जिले में वंचित समुदायों की महिलाओं और उद्यमियों के लिए पीएमईजीपी कार्य-निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	महिला		अल्पसंख्यक		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति	
	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)
2021-22	55	1.84	3	0.10	92	2.56	12	0.29	6	0.17
2022-23	54	2.12	4	0.20	74	2.70	18	0.42	2	0.04
2023-24	30	1.27	1	0.01	73	2.78	9	0.32	2	0.25
2024-25*	16	1.00	2	0.24	25	2.09	8	0.32	1	0.01

**वित्तीय वर्ष 2024-25 दिनांक 01.02.2025 तक के आंकड़े।*

(घ) विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष 2024-25 (01.02.2025 तक) से हिमाचल प्रदेश राज्य में पीएमईजीपी का राज्य-वार और जिला-वार कार्य-निष्पादन अनुबंध-III में दिया गया है।

*****

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 651 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध-I:

विगत 3 वर्षों से और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (01.02.2025) के दौरान स्कीम के अंतर्गत प्रयुक्त राज्य-वार मार्जिन मनी सब्सिडी का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	संवितरित मार्जिन मनी (रुपए करोड़ में)			
		2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	2.39	2.03	1.34	0.48
2	आंध्र प्रदेश	100.89	129.30	172.00	125.02
3	अरुणाचल प्रदेश	7.89	7.01	17.65	5.27
4	असम	66.60	59.54	64.06	50.8
5	बिहार	81.70	121.23	191.76	76.08
6	चंडीगढ़	0.62	0.45	0.22	0.22
7	छत्तीसगढ़	69.41	74.93	76.25	35.69
8	दिल्ली	3.15	4.71	3.34	1.3
9	गोवा	2.98	2.91	3.23	0.94
10	गुजरात*	287.05	241.83	321.25	191.01
11	हरियाणा	60.93	63.20	73.25	34.82
12	हिमाचल प्रदेश	35.51	31.50	36.48	18.46
13	जम्मू एवं कश्मीर	467.14	239.94	282.50	141.39
14	झारखंड	41.88	48.38	51.23	9.72
15	कर्नाटक	158.43	161.54	158.62	62
16	केरल	68.59	73.29	78.82	35.18
17	लद्दाख	11.82	3.76	5.85	2.6
18	लक्षद्वीप	0.18	0.02	0.00	0
19	मध्य प्रदेश	209.61	181.30	185.21	60.85
20	महाराष्ट्र**	130.19	132.03	122.05	76.73
21	मणिपुर	33.37	14.63	8.11	9.08
22	मेघालय	9.74	6.66	7.25	12.74
23	मिजोरम	14.62	13.54	17.55	9.54
24	नागालैंड	24.95	15.35	29.18	23.42
25	ओडिशा	113.36	107.32	93.55	36.04
26	पुदुचेरी	1.44	0.66	0.97	0.72
27	पंजाब	60.18	72.51	90.88	58.88
28	राजस्थान	90.26	114.19	124.06	63.94
29	सिक्किम	2.14	1.31	4.49	2.6
30	तमिलनाडु	164.46	178.92	198.72	87.52
31	तेलंगाना	98.46	102.25	108.12	57.88
32	त्रिपुरा	20.84	16.89	14.44	10.65
33	उत्तर प्रदेश	411.65	378.66	435.29	182.75
34	उत्तराखंड	39.83	46.32	41.92	16.38
35	पश्चिम बंगाल	85.40	74.09	74.23	27.94

अनुबंध-II: दिनांक 06.02.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 651 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध II:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और प्रयुक्त एमएम सब्सिडी के संदर्भ में वंचित समुदायों की महिलाओं और उद्यमियों का राज्य-वार पीएमईजीपी कार्य-निष्पादन:

क्र. सं.	राज्य	महिला		अल्प संख्यक		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति	
		सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)
1	अंडमान निकोबार	43	0.68	0	0.00	44	0.95	0	0.00	8	0.12
2	आंध्र प्रदेश	1,320	56.57	48	2.01	1,058	43.16	414	14.27	82	2.98
3	अरुणाचल प्रदेश	84	3.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	196	7.89
4	असम	1,272	20.76	48	0.84	633	11.89	207	3.71	474	6.77
5	बिहार	838	31.01	96	3.31	1,501	49.17	194	5.42	61	2.01
6	चंडीगढ़	11	0.33	1	0.01	3	0.13	7	0.19	0	0.00
7	छत्तीसगढ़	848	23.03	94	2.90	1,322	31.72	294	6.19	320	5.72
8	दिल्ली	45	1.55	1	0.06	22	1.19	7	0.21	0	0.00
9	गोवा	43	1.45	8	0.32	21	0.79	3	0.16	2	0.12
10	गुजरात	2,630	204.76	84	5.62	673	39.40	313	16.61	171	9.98
11	हरियाणा	692	28.33	15	0.69	558	19.96	307	7.77	1	0.02
12	हिमाचल प्रदेश	472	14.11	22	0.77	114	3.18	427	11.10	171	4.42
13	जम्मू कश्मीर	8,520	162.27	18,209	383.70	313	8.97	537	12.93	226	5.23
14	झारखंड	502	14.54	41	0.89	863	23.50	92	1.66	162	2.91
15	कर्नाटक	1,940	51.30	568	17.22	3,207	91.87	1,146	24.09	307	6.41
16	केरल	1,092	24.94	356	10.38	1,710	42.85	169	3.08	19	0.25
17	लद्दाख	82	2.82	0	0.00	0	0.00	2	0.12	292	11.64
18	लक्षद्वीप	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	0.17
19	मध्य प्रदेश	2,385	71.64	313	10.57	3,814	102.90	921	19.41	567	9.30
20	महाराष्ट्र	1,712	64.60	107	4.96	1,551	45.02	627	15.06	115	3.36
21	मणिपुर	552	17.35	13	0.21	14	0.39	16	0.37	403	6.98
22	मेघालय	283	3.74	5	0.06	1	0.01	9	0.12	581	7.79
23	मिजोरम	333	7.37	0	0.00	0	0.00	4	0.09	645	14.51
24	नागालैंड	535	11.00	1	0.01	0	0.00	11	0.16	1,228	24.77
25	ओडिशा	1,874	54.60	67	1.97	1,104	32.06	393	8.92	214	4.08
26	पुदुचेरी	24	0.40	1	0.01	47	1.02	16	0.37	0	0.00
27	पंजाब	818	33.42	23	1.12	324	10.34	502	9.66	0	0.00
28	राजस्थान	670	26.67	86	3.82	1,353	49.56	238	5.39	236	6.32
29	सिक्किम	33	0.76	0	0.00	22	0.54	7	0.17	7	0.17
30	तमिलनाडु	2,857	66.19	149	4.24	3,762	127.08	691	16.47	691	16.47
31	तेलंगाना	1,111	38.53	111	2.83	1,566	53.39	449	12.24	449	12.24
32	त्रिपुरा	260	5.45	32	0.87	125	2.54	143	3.03	143	3.03
33	उत्तर प्रदेश	3,712	143.72	772	26.42	6,540	217.78	1,405	39.34	1,405	39.34
34	उत्तराखंड	489	11.84	16	0.64	269	7.05	290	4.67	290	4.67
35	पश्चिम बंगाल	1,073	45.21	380	13.35	217	8.58	320	10.51	320	10.51
कुल		**39,156**	**1,244.28**	**21,667**	**499.80**	**32,751**	**1,026.93**	**10,161**	**253.49**	**9,793**	**230.18**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और प्रयुक्त एमएम सब्सिडी के संदर्भ में वंचित समुदायों की महिलाओं और उद्यमियों का राज्य-वार पीएमईजीपी कार्य-निष्पादन:

क्र.सं.	राज्य	महिला		अल्पसंख्यक		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति	
		सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)
1	अंडमान निकोबार	24	0.48	0	0.00	47	1.10	0	0.00	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	1,716	77.46	47	2.09	1,279	54.79	526	17.87	115	3.43
3	अरुणाचल प्रदेश	70	3.01	1	0.04	0	0.00	1	0.04	155	6.92
4	असम	907	19.51	69	2.24	434	10.61	115	2.07	310	5.65
5	बिहार	1335	40.36	180	5.04	2,755	75.37	398	9.03	81	2.59
6	चंडीगढ़	10	0.34	1	0.03	2	0.04	2	0.06	0	0.00
7	छत्तीसगढ़	703	25.03	67	2.51	1,223	37.03	259	7.12	267	6.38
8	दिल्ली	30	2.00	10	0.84	20	1.69	6	0.48	0	0.00
9	गोवा	36	1.48	5	0.18	15	0.77	0	0.00	1	0.07
10	गुजरात	1,821	161.08	82	7.23	613	44.05	243	15.96	127	7.53
11	हरियाणा	626	32.15	6	0.36	519	19.76	298	7.83	2	0.01
12	हिमाचल प्रदेश	352	13.10	7	0.44	93	3.77	304	9.06	128	3.71
13	जम्मू कश्मीर	5,035	90.49	9,793	188.30	158	4.03	374	8.93	175	4.45
14	झारखंड	613	17.68	31	0.68	942	25.27	115	2.34	167	3.01
15	कर्नाटक	1,888	54.58	593	18.09	3,081	94.54	1063	23.54	305	7.59
16	केरल	1,257	28.05	376	10.79	1,884	46.64	245	4.27	16	0.20
17	लद्दाख	28	1.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	90	3.67
18	लक्षद्वीप	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.02
19	मध्य प्रदेश	1,813	66.54	210	9.28	2,836	88.76	725	16.42	466	8.47
20	महाराष्ट्र	1,523	66.79	90	4.53	1,369	45.37	510	12.54	92	2.09
21	मणिपुर	244	6.99	1	0.08	6	0.15	9	0.21	211	3.52
22	मेघालय	121	2.67	0	0.00	1	0.04	1	0.03	272	6.07
23	मिजोरम	195	6.33	0	0.00	1	0.02	1	0.04	410	13.48
24	नागालैंड	196	6.83	0	0.00	0	0.00	0	0.00	469	15.35
25	ओडिशा	1,757	54.21	51	1.85	1,021	30.56	320	6.12	169	2.88
26	पुदुचेरी	13	0.38	0	0.00	16	0.47	5	0.14	0	0.00
27	पंजाब	759	43.02	21	1.44	273	10.34	423	9.21	0	0.00
28	राजस्थान	596	42.18	55	3.21	1,116	62.03	140	5.05	170	4.94
29	सिक्किम	22	0.41	0	0.00	8	0.18	1	0.04	34	0.84
30	तमिलनाडु	2,856	75.49	223	5.51	4,033	140.89	765	17.46	31	0.42
31	तेलंगाना	953	39.77	51	1.65	1,356	51.21	354	10.65	352	14.67
32	त्रिपुरा	165	3.73	17	0.58	124	3.18	99	2.06	147	3.04
33	उत्तर प्रदेश	3,549	142.09	594	20.54	6,288	204.29	1279	33.05	27	0.79
34	उत्तराखंड	484	14.48	11	0.32	329	9.80	279	4.95	40	1.16
35	पश्चिम बंगाल	928	35.89	407	14.36	242	8.80	282	8.96	19	0.54
कुल		**32,626**	**1,176**	**12,999**	**302**	**32,084**	**1,076**	**9,142**	**236**	**4,850**	**133**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और प्रयुक्त एमएम सब्सिडी के संदर्भ में वंचित समुदायों की महिलाओं और उद्यमियों का राज्य-वार पीएमईजीपी कार्य-निष्पादन:

क्र.सं.	राज्य	महिला		अल्पसंख्यक		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति	
		सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)
1	अंडमान निकोबार	12	0.22	0	0.00	40	0.57	0	0	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3,457	99.76	53	1.80	2,333	68.61	203	5.67	1,216	33.69
3	अरुणाचल प्रदेश	78	8.46	1	0.04	0	0.00	166	17.45	0	0.00
4	असम	761	19.26	10	0.47	349	9.81	271	5.38	109	2.81
5	बिहार	2,303	70.80	166	5.00	4,323	121.58	88	2.23	701	17.43
6	चंडीगढ़	7	0.16	0	0.00	0	0.00	0	0	1	0.03
7	छत्तीसगढ़	662	26.19	54	2.68	1,061	32.96	212	4.34	299	9.04
8	दिल्ली	27	1.79	1	0.13	12	1.06	0	0	6	0.34
9	गोवा	38	1.54	9	0.84	9	0.36	3	0.09	1	0.09
10	गुजरात	1,821	219.20	66	7.51	569	57.86	94	8.48	274	23.07
11	हरियाणा	638	40.22	11	1.09	424	20.50	2	0.21	250	8.83
12	हिमाचल प्रदेश	344	14.39	12	0.49	81	3.80	107	3.72	343	11.20
13	जम्मू कश्मीर	7,082	118.94	11,889	215.29	185	4.37	235	6.26	658	14.30
14	झारखंड	671	17.91	28	0.72	942	25.80	206	3.38	130	2.13
15	कर्नाटक	1,654	56.96	472	15.71	2,587	92.13	286	7.71	877	23.85
16	केरल	1,396	33.19	421	12.53	2,049	47.52	13	0.22	292	5.15
17	लद्दाख	35	1.71	0	0.00	0	0.00	117	5.57	0	0.00
18	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00
19	मध्य प्रदेश	1,690	70.46	146	7.28	2,577	91.54	368	7.99	653	18.07
20	महाराष्ट्र	1,150	63.11	57	3.15	977	37.03	80	2.54	374	13.52
21	मणिपुर	153	3.24	2	0.05	9	0.17	140	2.97	4	0.13
22	मेघालय	103	2.74	0	0.00	2	0.24	259	6.64	2	0.06
23	मिजोरम	194	8.48	0	0.00	0	0.00	401	17.55	0	0.00
24	नागालैंड	244	14.46	0	0.00	1	0.05	513	29	3	0.13
25	ओडिशा	1,430	46.88	35	1.29	683	23.31	94	1.68	248	6.82
26	पुदुचेरी	16	0.47	0	0.00	21	0.70	0	0	6	0.19
27	पंजाब	725	58.23	25	2.01	202	9.35	1	0.04	370	11.30
28	राजस्थान	567	51.73	70	6.76	877	62.85	121	4.69	92	5.00
29	सिक्किम	68	2.36	0	0.00	27	1.12	68	2.22	6	0.20
30	तमिलनाडु	3,285	81.66	244	5.07	4,451	158.05	48	0.61	823	18.93
31	तेलंगाना	967	46.18	50	1.91	1,293	52.13	387	17.09	347	12.00
32	त्रिपुरा	152	3.37	17	0.87	121	3.10	116	2.51	93	2.15
33	उत्तर प्रदेश	3,733	173.53	439	18.87	5,965	216.10	31	1.31	1,685	49.73
34	उत्तराखंड	377	14.75	6	0.22	208	7.49	38	1.08	223	4.80
35	पश्चिम बंगाल	966	41.64	313	11.77	224	9.59	13	0.39	278	8.86
कुल		**36,806**	**1,414**	**14,597**	**324**	**32,602**	**1,160**	**4,681**	**169**	**10,364**	**304**

वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक) के दौरान सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और प्रयुक्त एमएम सब्सिडी के संदर्भ में वंचित समुदायों की महिलाओं और उद्यमियों का राज्य-वार पीएमईजीपी कार्य-निष्पादन:

क्र.सं.	राज्य	महिला		अल्पसंख्यक		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति	
		सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)
1	अंडमान निकोबार	6	0.11	0	0.00	11	0.18	0	0.00	1	0.01
2	आंध्र प्रदेश	1480	74.43	19	1.00	875	49.73	800	22.33	127	4.49
3	अरुणाचल प्रदेश	45	2.88	1	0.04	0	0.00	2	0.09	84	5.12
4	असम	627	19.09	4	0.09	281	8.25	85	2.24	199	4.52
5	बिहार	911	28.30	67	2.08	1577	45.85	458	10.40	32	0.75
6	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.03	0	0.00
7	छत्तीसगढ़	335	12.48	28	1.45	463	14.02	190	5.50	149	3.76
8	दिल्ली	15	0.86	0	0.00	7	0.60	4	0.10	0	0.00
9	गोवा	15	0.65	2	0.09	4	0.14	0	0.00	1	0.02
10	गुजरात	1042	135.15	42	4.96	301	33.07	133	12.64	54	3.85
11	हरियाणा	293	21.91	2	0.05	161	8.36	128	4.08	0	0.00
12	हिमाचल प्रदेश	167	7.25	6	0.25	28	1.34	207	7.07	60	1.84
13	जम्मू कश्मीर	1816	47.93	3635	101.25	85	3.00	397	8.00	135	3.60
14	झारखंड	123	3.25	2	0.05	114	3.00	83	1.38	119	2.29
15	कर्नाटक	606	19.14	150	5.29	880	31.94	565	14.59	195	5.02
16	केरल	518	13.00	163	4.89	801	21.38	192	3.80	23	0.26
17	लद्दाख	13	0.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	52	2.55
18	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	मध्य प्रदेश	600	21.98	42	2.41	789	23.10	390	11.67	182	4.16
20	महाराष्ट्र	630	43.42	21	1.95	467	24.57	215	7.80	67	2.46
21	मणिपुर	181	4.64	4	0.05	7	0.23	8	0.10	129	2.28
22	मेघालय	201	5.13	0	0.00	0	0.00	2	0.02	428	12.32
23	मिजोरम	133	4.94	0	0.00	0	0.00	1	0.13	251	9.42
24	नागालैंड	321	11.99	0	0.00	0	0.00	1	0.01	679	23.22
25	ओडिशा	548	17.00	11	0.42	271	7.36	245	6.44	119	2.38
26	पुदुचेरी	9	0.21	0	0.00	18	0.54	6	0.12	1	0.06
27	पंजाब	413	39.49	9	0.65	86	6.40	168	4.95	0	0.00
28	राजस्थान	258	25.76	22	2.41	367	31.96	70	3.48	91	3.53
29	सिक्किम	41	1.14	0	0.00	26	0.89	7	0.19	34	0.93
30	तमिलनाडु	1266	35.92	69	2.21	1560	66.19	686	12.17	48	0.59
31	तेलंगाना	522	25.49	29	1.19	578	26.82	209	7.25	223	9.71
32	त्रिपुरा	132	3.30	12	0.57	66	1.91	48	1.29	102	2.12
33	उत्तर प्रदेश	1605	71.31	139	5.79	2467	96.90	868	25.99	21	0.72
34	उत्तराखंड	160	4.72	6	0.26	86	3.30	97	2.19	19	0.85
35	पश्चिम बंगाल	299	12.99	75	2.89	103	3.89	191	7.43	9	0.35
कुल		**15,331**	**716.66**	**4,560**	**142.29**	**12,479**	**514.90**	**6,457**	**183.46**	**3,634**	**113.18**

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 651 के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध -III:

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक) से पीएमईजीपी का राज्य-वार कार्य-निष्पादन

क्र. सं.	राज्य	2021-22			2022-23			2023-24			2024-25*		
		एमएम सब्सिडी (करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	सृजित अनुमानित रोजगार	एमएम सब्सिडी (करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	सृजित अनुमानित रोजगार	एमएम सब्सिडी (करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	सृजित अनुमानित रोजगार	एमएम सब्सिडी (करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	सृजित अनुमानित रोजगार
1	अंडमान निकोबार	2.39	162	1,296	2.03	121	968	1.34	135	1,080	0.48	38	304
2	आंध्र प्रदेश	100.89	2,477	19,816	129.3	3,073	24,584	172	5,577	44,616	125.02	2,560	20,480
3	अरुणाचल प्रदेश	7.89	196	1,568	7.01	158	1,264	17.65	169	1,352	5.27	88	704
4	असम	66.6	3,855	30,840	59.54	2,596	20,768	64.06	2,417	19,336	50.8	1,753	14,024
5	बिहार	81.7	2,477	19,816	121.23	4,459	35,672	191.76	6,837	54,696	76.08	2,689	21,512
6	चंडीगढ़	0.62	21	168	0.45	15	120	0.22	10	80	0.22	4	32
7	छत्तीसगढ़	69.41	3,020	24,160	74.93	2,543	20,344	76.25	2,379	19,032	35.69	1,172	9,376
8	दिल्ली	3.15	100	800	4.71	72	576	3.34	50	400	1.3	20	160
9	गोवा	2.98	87	696	2.91	66	528	3.23	68	544	0.94	23	184
10	गुजरात	287.05	4,143	33,144	241.83	3,071	24,568	321.25	3,000	24,000	191.01	1,624	12,992
11	हरियाणा	60.93	1,726	13,808	63.2	1,559	12,472	73.25	1,398	11,184	34.82	594	4,752
12	हिमाचल प्रदेश	35.51	1,274	10,192	31.5	930	7,440	36.48	974	7,792	18.46	480	3,840
13	जम्मू कश्मीर	467.14	21,648	173,184	239.94	12,023	96,184	282.5	15,065	120,520	141.39	5,077	40,616
14	झारखंड	41.88	1,714	13,712	48.38	1,851	14,808	51.23	2,101	16,808	9.72	440	3,520
15	कर्नाटक	158.43	5,877	47,016	161.54	5,618	44,944	158.62	4,672	37,376	62	1,925	15,400
16	केरल	68.59	2,789	22,312	73.29	3,129	25,032	78.82	3,389	27,112	35.18	1,398	11,184
17	लद्दाख	11.82	295	2,360	3.76	91	728	5.85	122	976	2.6	53	424
18	लक्षद्वीप	0.18	7	56	0.02	2	16	0	-	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	209.61	8,082	64,656	181.3	5,957	47,656	185.21	5,292	42,336	60.85	1,922	15,376
20	महाराष्ट्र	130.19	4,128	33,024	132.03	3,625	29,000	122.05	2,766	22,128	76.73	1,341	10,728
21	मणिपुर	33.37	1,139	9,112	14.63	545	4,360	8.11	348	2,784	9.08	379	3,032
22	मेघालय	9.74	699	5,592	6.66	306	2,448	7.25	280	2,240	12.74	451	3,608
23	मिजोरम	14.62	650	5,200	13.54	412	3,296	17.55	401	3,208	9.54	252	2,016
24	नागालैंड	24.95	1,241	9,928	15.35	469	3,752	29.18	517	4,136	23.42	682	5,456
25	ओडिशा	113.36	4,301	34,408	107.32	3,880	31,040	93.55	2,975	23,800	36.04	1,320	10,560
26	पुदुचेरी	1.44	66	528	0.66	25	200	0.97	30	240	0.72	25	200
27	पंजाब	60.18	1,790	14,320	72.51	1,564	12,512	90.88	1,469	11,752	58.88	748	5,984
28	राजस्थान	90.26	2,599	20,792	114.19	2,037	16,296	124.06	1,678	13,424	63.94	761	6,088
29	सिक्किम	2.14	85	680	1.31	57	456	4.49	132	1,056	2.6	87	696
30	तमिलनाडु	164.46	5,972	47,776	178.92	6,140	49,120	198.72	6,814	54,512	87.52	2,737	21,896
31	तेलंगाना	98.46	2,906	23,248	102.25	2,540	20,320	108.12	2,503	20,024	57.88	1,250	10,000
32	त्रिपुरा	20.84	958	7,664	16.89	703	5,624	14.44	588	4,704	10.65	424	3,392
33	उत्तर प्रदेश	411.65	12,594	100,752	378.66	11,601	92,808	435.29	11,689	93,512	182.75	4,668	37,344
34	उत्तराखंड	39.83	1,836	14,688	46.32	1,803	14,424	41.92	1,354	10,832	16.38	533	4,264
35	पश्चिम बंगाल	85.4	2,305	18,440	74.09	2,126	17,008	74.23	1,919	15,352	27.94	717	5,736
	कुल	2,977.66	1,03,219	8,25,752	2,722.18	85,167	6,81,336	3,093.88	89,118	7,12,944	1,528.24	38,235	3,05,880

वित्तीय वर्ष 2024-25 दिनांक 01.02.2025 तक के आंकड़े।

विगत 3 वर्षों से और चालू वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 (01.02.2025 तक) के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य में जिला-वार पीएमईजीपी कार्य-निष्पादन

क्र. सं.	जिला	2021-22			2022-23			2023-24			2024-25*		
		सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (करोड़ में)	अनुमानित सृजित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (करोड़ में)	अनुमानित सृजित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (करोड़ में)	अनुमानित सृजित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (करोड़ में)	अनुमानित सृजित रोजगार
1	बिलासपुर	57	1.67	456	39	1.44	312	32	1.14	256	24	1.18	192
2	चंबा	206	5.7	1,648	165	5.61	1,320	152	5.59	1,216	80	2.81	640
3	हमीरपुर	103	2.48	824	48	1.07	384	59	1.8	472	41	1.32	328
4	कांगड़ा	256	8.19	2,048	185	7.05	1,480	185	8.65	1,480	80	3.41	640
5	किन्नौर	50	0.98	400	55	1.07	440	45	1.18	360	18	0.35	144
6	कुल्लू	107	2.49	856	81	2.4	648	72	1.91	576	49	1.37	392
7	लाहुल और स्पीति	10	0.29	80	13	0.53	104	4	0.26	32	3	0.14	24
8	मंडी	141	4	1,128	98	3.43	784	149	5.29	1,192	67	2.69	536
9	शिमला	76	1.69	608	55	1.54	440	101	2.64	808	43	1.48	344
10	सिरमौर	58	0.97	464	30	0.57	240	59	2.19	472	18	0.87	144
11	सोलन	130	4.29	1,040	123	5.16	984	96	4.68	768	40	1.91	320
12	ऊना	80	2.77	640	38	1.63	304	20	1.15	160	17	0.94	136
	कुल	1,274	35.51	10,192	930	31.5	7,440	974	36.48	7,792	480	18.46	3,840

**वित्तीय वर्ष 2024-25 दिनांक 01.02.2025 तक की स्थिति के अनुसार।*